न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 40/2021

हुकमीचन्द पुत्र चिरंजीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी ढाणी खेमू की हाल वार्ड नं0 18, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं (राज0)।

–– रेस्पोडेन्ट

––

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.12.2020 श्रीमान तहसीलदार साहब चिडावा तहसील चिडावा मुकदमा जनवानी सरकार बनाम हुकमीचंद अंतर्गत धारा 91 LR Act मु.नं. 7/20

––

उपस्थित–

1. श्री सुशील कुमार जोशी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 16.08.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 04.12.2020 के विरूद्ध स्थ प्रार्थना पत्र स्थगन, प्रा0प0 अवधा0 ऑ0 41 नियम 27 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी एवं आदेश दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार भूमि हाल खसरा नं. 122 रकबा 1.15 हैक्टेयर पर प्रार्थी को अतिक्रमी बताते हुए अपीलार्थी को धारा 91 LR Act का नोटिस दिया तथा तलबी हेतु दिनांक 16.09.2020 नियत की गई। दिनांक 16.09.2020 को प्रार्थी ने न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश करने हेतु समय चाहा गया। प्रार्थी को जवाब हेतु दिनांक 30.09.2020 तक अवसर दिया गया। दिनांक 30.09.2020 को प्रार्थी जवाब हेतु श्री मूलचंद शर्मा अधिवक्ता को अपना वकील नियुक्त किया जिन्होने प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा तत्पश्चात दिनांक 29.10.2020 को प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से पत्रावली पर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया गया। जवाब नोटिस के अनुसार प्रार्थी की ओर से जमीन जैर बहस के बाबत अपने पिता स्व. श्री चिरंजीलाल पुत्र श्री पितराम जाति ब्राहम्ण के खातेदारी अधिकार जमाबंदी विक्रम संवत 2012–15 में उनकी उपकृषक बतौर खातेदारी दर्ज है तथा मन्दिर की भूमिधारी के कॉलम में जैर मन्दिर श्री रघुनाथ जी दर्ज होकर बअहतमाम पुजारी अर्जुनराम पुत्र गणेशराम व कालू मालदास के नाम से दर्ज है। इस प्रकार श्री अर्जुनराम प्रार्थी के परदादा लगते थे। श्री अर्जुनराम का खसरा निम्न प्रकार है :–

<table>
<tr><td colspan="3">अर्जुनराम</td></tr>
<tr><td colspan="2">पितराम</td><td rowspan="2">मथुरादास
(लाऔलाद बिना शादी किये फौत)</td></tr>
<tr><td>चिरंजीलाल</td><td>राधेश्याम
(गोद गये देवरिया उत्तर प्रदेश)</td></tr>
<tr><td>राजेन्द्र प्रसाद</td><td>हुकमीचंदी
(अपीलार्थी)</td><td></td><td></td></tr>
</table>

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(A 5/2)

उपरोक्त वर्णित सजरे के अनुसार भूमि जैर बहस के पुराने खसरा नम्बर 933, 934. 935, 936 है जिसकी खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथ जी ढाणी खेमु की व बहतमाम पुजारी अर्जुनराम, कालू, मंगलदास पुत्र हनुतराम आदि के नाम दर्ज रही है जिसमें से भूमि खसरा नम्बर 933 मी. के हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 1.15 हैक्टेयर दर्ज की गई जिस पर जमाबंदी विक्रम संवत 2012–2015 बतौर उपकृषक चिरंजीलाल के नाम दर्ज रही है। यद्यपि जमाबंदी चिरंजीलाल के पिता का नाम तत्कालीन रेवेन्यू अधिकारियो की भूलवश चिरंजीलाल के पिता का नाम दाताराम दर्ज कर दिया जो गलत है। चिरंजीलाल के पिता का नाम पितराम है जो आगामी जमाबंदी विक्रम संवत 2016–2019 भूमि खसरा नम्बर 933 व 934/1134 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता है। यद्यपि इसी जमाबंदी में पुराने खसरा नम्बर 933, 934, 935, 936 एवं पुराने खसरा नम्बर 933/1135 का खाता अलग से दर्ज कर इसका रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता दर्ज किया। इस प्रकार पुराने खसरा नम्बर 933 लगायत 936 के 2 खाते कर दिये जिसमे अपीलार्थी/प्रार्थी के पिता चिरंजीलाल के नाम पुराने खसरा नम्बर 933 व 934/1134 का 1 खाता कायम कर रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता कायम किया गया जिसकी खातेदारी प्रार्थी/ अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल के नाम की गई। तत्पश्चात जमाबंदी विक्रम संवत 2023–2026 में दोनो खातो को एक जगह शामिल करते हुए खातेदारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी विक्रमी संवत 2027–2030 दोनों खातों की जमाबंदी में खातेदार प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी 2031–2034 में खातेदारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज रही है। इसी आधार पर प्रार्थी/अपीलार्थी ने झुंझुनूं सहकारी विकास बैक लिमिटेड से प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता स्व. श्री चिरंजीलाल ने भूमि जैर बहस के विकास हेतु कुआ बनाने के लिये उपरोक्त बैक से ऋण भी लिया जिसके संबंध में उपलब्ध रसीदे एवं रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। निर्णय करते समय दिनांक 04.12.2020 की आदेशिका में प्रार्थी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति दिखाई जबकि उस समय प्रार्थी/अपीलार्थी एवं उसका वकील दोनो मौजूद थे, इसके अलावा प्रार्थी/अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भूमि जैर बहस के विक्रम संवत 2024 के लगान अदा करने की रसीद पेश करने का प्रयास करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य ग्रहण न करके आलोच्य निर्णय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारो पर अपील पेश करता है। अतः अपील हेतु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित आपतियां प्रस्तुत है कि आलोच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय कतई खिलाफ कानून, पत्रावली एवं विरूद्ध न्याय है। भूमि जैर बहस पुराने खसरा नम्बरान 933, 934, 935, 936 है जिसकी खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथ जी ढाणी खेमू की बअहतमाम पुजारी अर्जुनराम, कालू, मंगलदास, हनुतराम आदि के नाम दर्ज रही है। जिसमे से भूमि खसरा नम्बर 933 मी. के हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 1.15 हैक्टेयर दर्ज की गई जिस पर जमाबंदी विक्रम संवत 2012–2015 बतौर उपकृषक चिरंजीलाल के नाम दर्ज रही है। यद्यपि चिरंजीलाल खातेदार थे तत्कालीन रेवेन्यू अधिकारियों की भूलवंश चिरंजीलाल के पिता का नाम दाताराम दर्ज कर दिया तथा खातेदार को उपकृषक दर्ज कर दिया जो गलत है। चिरंजीलाल के पिता का नाम पितराम है जो आगामी जमाबंदी विक्रम संवत 2016–2019 भूमि खसरा नम्बर 933 व 934/1134 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता है मे बाकायदा बतौर खातेदार दर्ज किया तथा चिरंजीलाल के पिता का नाम भी पितराम सही दर्ज कर दिया। यद्यपि इसी जमाबंदी में पुराने खसरा नम्बर 933, 934, 935, 936 एवं पुराने खसरा नम्बर 933/1135 का खाता अलग से दर्ज कर इसका रकाब 12 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता दर्ज किया। इस प्रकार खसरा नम्बर 933 लगायत 936 के 2 खाते कर दिये जिसमे अपीलार्थी/प्रार्थी के पिता चिरंजीलाल के नाम पुराने खसरा नम्बर 933 व 934/1134 का 1 खाता कायम कर रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता कायम किया गया जिसकी खातेदारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात जमांबंदी विक्रम संवत 2023–2026 में दोनो खातो को एक जगह शामिल करते हुए खातेदारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी विक्रमी संवत 2027–2030 दोनो खातो की जमाबंदी में खातेदार प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी 2031–2034 में खातेदारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज रही है। इसी आधार पर झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैक लिमिटेड से प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता स्व. श्री

झुंझुनूं

चिरंजीलाल ने भूमि जैर बहस के विकास हेतु कुआ बनाने के लिए उपरोक्त बैक से ऋण भी लिया जिसके बाबत में उपलब्ध रसीदे एवं रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभी तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर न कर आलोच्य निर्णय पारित किया है। निर्णय करते समय दिनांक 04.12.2020 की आदेशिका में प्रार्थी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति दिखाई जबकि उस समय प्रार्थी/अपीलार्थी एवं उसका वकील दानो मौजूद थे। इसके अलावा प्रार्थी/अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमीन जैर बहस विक्रम संवत 2024 के लगान अदा करने की रसीद पेश करने का प्रयास किया। इसी प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमीन जैर बहस विक्रम संवत 2024 के लगान अदा करने की रसीद पेश करने का प्रयास किया। इसी प्रकार प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से साक्ष्य देने का भी प्रयास किया परन्तु न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया गया जो न्यायायिक निर्णय की श्रेणी ने नही आता है। उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार भूमि जैर बहस पुराने खसरा नम्बर 933 व 934 हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 1.15 हैक्टेयर प्रार्थी/अपीलार्थी के परदादा स्व. श्री अर्जुनराम के समय से कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है। अर्थात भूमि जैर बहस विक्रम संवत 2012 से भी पूर्व से प्रार्थी/अपीलार्थी के परदादा स्व. श्री अर्जुनराम एवं उनके बुजुर्गान के समय भी खातेदारी स्वयं के कब्जे काश्त की चली आ रही है जो उपरोक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी जमाबंदी विक्रम संवत 2012–2015 से लेकर 2034 तक प्रार्थी/अपीलार्थी के परदादा एवं पिता के खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस भूमि पर प्रार्थी/अपीलार्थी अपने पिता स्व. श्री चिरंजीलाल के समय में कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता स्व. श्री चिरंजीलाल का देहांत दिनांक 22.11.1988 को हो जाने के पश्चात से प्रार्थी/अपीलार्थी उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार चला आ रहा है, कोई अतिकमी नही है। इस संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों एवं रिकॉर्ड पर गौर न करके अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने में भंयकर कानूनी भूल की है। भूमि गत खसरा नम्बर 933 हाल खसरा नम्बर 122 वाके ग्राम खेमू की ढाणी सिवाय चक सरकारी भूमि की श्रेणी में नही आती है । इस कारण हल्का पटवारी ग्राम खेमू की ढाणी के द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 1.15 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर के बाबत अंतर्गत धारा 91 LR Act स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के अनुसार कि किसी भी प्रकरण के बाबत परिवादी एवं आरोपित व्यक्तियों को उचित अवसर सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर दोनो पक्षो के दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य लिये जाने के पश्चात ही न्यायोचित निर्णय पारित किया जाना चाहिये जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध हल्का पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 122 वाके ग्राम खेमू की ढाणी के कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर तारबंदी करके अतिकमी होना बताकर रिपोर्ट पेश की है परन्तु तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा ना तो अपनी मौका बही पेश की, ना ही स्वयं ने कोई बयान किये एवं ना ही प्रार्थी/अपीलार्थी को कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को डिफेन्ड करने का कोई अवसर भी नही दिया बल्कि यहा तक कि दिनांक 04.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में मैसायल/प्रार्थी/अपीलार्थी को अनुपस्थित होना अंकित किया है जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी स्वयं मय वकील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। प्रार्थी/अपीलार्थी के वकील श्री मूलचन्द शर्मा ने बाकायदा बहस भी की है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेज जमाबंदी पेश करने की पेशकश कर अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य अंतिम निर्णय फरमा दिया गया जो किसी भी प्रकार कानून की दृष्टि से सही नही है ना ही स्पीकिग ऑर्डर की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपीलार्थी सेवामे प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 04.12.2020 श्रीमान् तहसीलदार साहब चिड़ावा को निरस्त फरमाया जावे तथा विवादित भूमि के बाबत पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट दिनांक [illegible].09.2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा इस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज प्रकरण निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि जैरबहस खसरा नम्बर 122 तादादी 1.15 हैक्टेयर प्रार्थी/अपीलार्थी के खातेदारी की घोषित कराई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि भूमि जैर बहस पुराने खसरा नम्बरान 933, 934, 935, 936 है जिसकी खातेदारी मंदिर श्री रघुनाथ जी ढाणी खेमू की बअहतमाम पुजारी अर्जुनराम, कालू, मंगलदास, हनुमान आदि के नाम दर्ज रही है। जिसमे से भूमि खसरा नम्बर 933 मी. के हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 1.15 हैक्टेयर दर्ज की गई जिस पर जमाबंदी विक्रम संवत 2012–2015 बतौर उपकृषक चिरंजीलाल के नाम दर्ज रही है। यद्यपि चिरंजीलाल खातेदार थे तत्कालीन रेवेन्यू अधिकारियों की भूलवंश चिरंजीलाल के पिता का नाम दाताराम दर्ज कर दिया तथा खातेदार को उपकृषक दर्ज कर दिया जो गलत है। चिरंजीलाल के पिता का नाम पितराम है जो आगामी जमाबंदी विक्रम संवत 2016–2019 भूमि खसरा नम्बर 933 व 934/1134 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता है मे बाकायदा बतौर खातेदार दर्ज किया तथा चिरंजीलाल के पिता का नाम भी पितराम सही दर्ज कर दिया। यद्यपि इसी जमाबंदी में पुराने खसरा नम्बर 933, 934, 935, 936 एवं पुराने खसरा नम्बर 933/1135 का खाता अलग से दर्ज कर इसका रकाब 12 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता दर्ज किया। इस प्रकार खसरा नम्बर 933 लगायत 936 के 2 खाते कर दिये जिसमे अपीलार्थी/प्रार्थी के पिता चिरंजीलाल के नाम पुराने खसरा नम्बर 933 व 934/1134 का 1 खाता कायम कर रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा पुख्ता कायम किया गया जिसकी खातेदारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात जमांबंदी विक्रम संवत 2023–2026 में दोनो खातो को एक जगह शामिल करते हुए खातेदारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी विक्रमी संवत 2027–2030 दोनो खातो की जमाबंदी में खातेदार प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी 2031–2034 में खातेदारी प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता चिरंजीलाल पुत्र पितराम के नाम दर्ज रही है। इसी आधार पर झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैक लिमिटेड से प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता स्व. श्री चिरंजीलाल ने भूमि जैर बहस के विकास हेतु कुआ बनाने के लिए उपरोक्त बैक से ऋण भी लिया था। उपरोक्त वर्णित विवरण के अनुसार भूमि जैर बहस पुराने खसरा नम्बर 933 व 934 हाल खसरा नम्बर 122 रकबा 1.15 हैक्टेयर प्रार्थी/अपीलार्थी के परदादा स्व. श्री अर्जुनराम के समय से कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है। अर्थात भूमि जैर बहस विक्रम संवत 2012 से भी पूर्व से प्रार्थी/अपीलार्थी के परदादा स्व. श्री अर्जुनराम एवं उनके बुजुर्गान के समय भी खातेदारी स्वयं के कब्जे काश्त की चली आ रही है जो उपरोक्त वर्णित अनुसार राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी जमाबंदी विक्रम संवत 2012–2015 से लेकर 2034 तक प्रार्थी/अपीलार्थी के परदादा एवं पिता के खातेदारी कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस भूमि पर प्रार्थी/अपीलार्थी अपने पिता स्व. श्री चिरंजीलाल के समय में कब्जे काश्त एवं खातेदारी में चली आ रही है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी के पिता स्व. श्री चिरंजीलाल का देहांत दिनांक 22.11.1988 को हो जाने के पश्चात से प्रार्थी/अपीलार्थी उपरोक्त भूमि पर बतौर खातेदार चला आ रहा है, कोई अतिक्रमी नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में गैरसायल/प्रार्थी/अपीलार्थी को अनुपस्थित होना अंकित किया है जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी स्वयं मय वकील योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। प्रार्थी/अपीलार्थी के वकील श्री मूलचन्द शर्मा ने बाकायदा बहस भी की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 04.12.2020 बीमान् तहसीलदार साहब चिडावा को निरस्त फरमाया जावे तथा विवादित भूमि के बाबत पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट दिनांक 10.09.2020 को निरस्त फरमाया जावे तथा इस रिपोर्ट के आधार पर दर्ज इन्द्राज निरस्त फरमाया जावे तथा भूमि जैरबहस खसरा नम्बर 122 तादादी 1.15 हैक्टेयर प्रार्थी/अपीलार्थी के खातेदारी की घोषित फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि की मंदिर खातेदारी की है जिस पर अपीलान्ट को तारबन्दी कर अतिक्रमण करने का कोई हक नही है। मंदिर खातेदारी भूमि का केयर–टेकर तहसीलदार है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दू सं0 5 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेंगें जैसे कि राजकीय भूमि पर

झुंझुनूं

अतिक्रमण के विरूद्व करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के सरंक्षण हेतु दायित्वाधीन होगें। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि गैरसायल द्वारा विवादित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर तारबन्दी न होकर सडक के लगते कुछ ही हिस्से पर ही तारबन्दी की है जिसका उद्देश्य विवादित कृषि भूमि की सुरक्षा न होकर अन्य उद्देश्य प्रतीत होता है। चूंकि विवादित भूमि के खातेदार मन्दिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी है जो स्वयं कानूनन नाबालिग है जो अपने हितों की स्वयं रक्षा नही कर सकते है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दू सं0 5 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेंगें जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्व करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के सरंक्षण हेतु दायित्वाधीन होगें। हम तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2020 को उचित मानते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/8/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं